न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट राठ, हमीरपुर

उपस्थित– शैलेन्द्र नाथ (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)

दाण्डिक वाद सं0–419/15

सरकार बनाम 1–सुरेश लोधी पुत्र मंगल लोधी,
2–लखन लोधी पुत्र मंगल लोधी,
3–श्रीमती दयावती पत्नी लखन लोधी,
निवासी ग्राम खरेहटा बुजुर्ग थाना राठ
4–हरिचरन पुत्र नन्दराम,
निवासी ग्राम छिबोली थाना जरिया,
जनपद हमीरपुर।

मु0अ0सं0–710/14
धारा–498ए,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट
थाना–राठ, जिला हमीरपुर, उ0प्र0।

.....

निर्णय

प्रस्तुत आपराधिक वाद वादिनी मुकदमा श्रीमती माया की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कायम मुकदमा अन्तर्गत धारा–498ए,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट बाद विवेचना अभियुक्तगण सुरेश लोधी, लखन लोधी, श्रीमती दयावती, हरिचरन के विरूद्ध आरोप पत्र मु0अ0सं0–710/14 अन्तर्गत धारा–498ए,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट में न्यायालय में प्रेषित किये जाने पर विचारण किया जा रहा है।

संक्षेप में अभियोजन इस प्रकार है कि प्रार्थिया श्री मती माया पत्नी सुरेश की शादी दिनांक 05.05.13 को ग्राम खरेहटा बुजुर्ग थाना राठ हमीरपुर निवासी सुरेश पुत्र मंगल लोधी के साथ हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थिया के पिता के गृह ग्राम उमरिया थाना जरिया जिला हमीरपुर से सम्पन्न हुई थी। प्रार्थिया के पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कन्या धन दिया था। प्रार्थिया जब पहली विदा में ससुराल गयी तो पति सुरेश, जेठ लखन व जेठानी दयावती व जेठानी का भाई हरिचरन दिये गये दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे। प्रार्थिया को बात–बात पर अपमान करते तथा कहते थे कि अपने पिता से मोटर साइकिल व 50 हजार रूपये लेकर आना नहीं तो हम तुझे भगा देंगे और दूसरी शादी कर देंगे। प्रार्थिया ने मायके जाने पर अपनी मां को ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किये जाने एवं दहेज की मांग को लेकर परेशान किये जाने के बारे में बताया तो प्रार्थिया के पिता, ग्राम उमरिया से दो संभ्रान्त लोगों को लेकर गये तथा उक्त व्यक्तियों से कहा कि उसकी पुत्री को दहेज के लिये क्यों परेशान करते हो तो उक्त ससुरालीजन बोले कि हमें तो मोटरसाइकिल व 50 हजार रूपये दो तभी हम उसे रखेंगे। प्रार्थिया के पिता ने समझाया किन्तु वे लोग दहेज की मांग पर अड़े रहे। जब प्रार्थिया के पिता ने कानून का सहारा लेने की बात की तो उक्त ससुरालीजन प्रार्थिया को रखने को तैयार हो गये। दिनांक 08.04.14 को प्रार्थिया मायके जाने लगी तो उक्त व्यक्तियों ने प्रार्थिया की अटैची छीन ली और कहा कि वापस ससुराल जब आना तब अटैची दे देंगे। प्रार्थिया का

.....

अटैची में झुमकी सोने की 13ग्राम की, दो सोने की अगूंठी 05ग्राम व नथ सोने की 05ग्राम व 10 हजार रूपये व कपड़े थे। दिनांक 18.06.14 को प्रार्थिया पुनः ससुराल गयी और जेठ व जेठानी से अटैची मांगी तो उक्त सभी जेवरात गायब थे। जब प्रार्थिया उक्त जेवरात व रूपया मांगे तो उक्त ससुरालीजन ने प्रार्थिया को मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी।

उपरोक्त सूचना के आधार पर दिनांक 21.06.14 को समय करीब 12.30 बजे थाना राठ जिला हमीरपुर में उपरोक्त घटना के बावत मु0अ0सं0– 710/14 अन्तर्गत धारा– 498ए, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्तगण सुरेश लोधी, लखन लोधी, श्रीमती दयावती, हरिचरन के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

विवेचक ने दौरान विवेचना औपचारिक एवं तथ्य साक्षी के बयान अंकित किये। घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शानजरी तैयार किया। विवेचक द्वारा विवेचना संबंधी समस्त औपचारिकतायें पूरी करने के उपरान्त अभियुक्तगण सुरेश लोधी, लखन लोधी, श्रीमती दयावती, हरिचरन के विरूद्ध मु0अ0सं0– 710/14 अन्तर्गत धारा–498ए,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0एक्ट में आरोप द्वारा उचित माध्यम सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगणों ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी–अपनी जमानतें करायी। दिनांक 21.03.18 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुये विचारण की याचना की।

अभियुक्तगण द्वारा विचारण की याचना किये जाने पर साक्षीगण को तलब किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनकी ओर से मात्र एक तथ्य के साक्षी बयान पी0डब्ल्यू0–1/ वादिनी मुकदमा श्री मती माया देवी को परीक्षित कराया गया है। औपचारिक साक्षीगण परीक्षित नहीं कराये गये हैं, क्योंकि अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता को धारा 294 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 23.11.19 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना को गलत बताया गया तथा उन्होंने सफाई में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादिनी मुकदमा श्री मती माया पत्नी सुरेश की शादी दिनांक 05.05.13 को ग्राम खरेहटा बुजुर्ग थाना राठ हमीरपुर निवासी सुरेश पुत्र मंगल लोधी के साथ हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थिया के पिता के गृह ग्राम उमरिया थाना जरिया जिला हमीरपुर से सम्पन्न हुई थी। प्रार्थिया जब पहली विदा में ससुराल गयी तो उक्त ससुरालीजन दिये गये दहेज से संतुष्ट नहीं थे और प्रार्थिया को बात बात पर ताना मारने लगे तथा अतिरिक्त दहेज के रूप में एक मोटरसाइकिल व 50 हजार रूपये की मांग करने लगे। दिनांक 18.06.14 को जब प्रार्थिया पुनः अपने मायके गयी तो उक्त जेठ व जेठानी ने उसकी अटैची यह कहकर रख ली कि वापस आकर ले लेना, लेकिन जब प्रार्थिया वापस ससुराली आयी

और उक्त अटैची मांगी तो उसमें से उसके जेवरात व पैसे गायब थे, जब उसने उनके बारे में पूछा तो उक्त ससुरालीजन ने उसको मारा पीटा।

अभियुक्तगण द्वारा अभियोजन के कथन का विरोध करते हुये कहा कि उनके द्वारा कोई दहेज की मांग नहीं की गयी है, न ही वादिनी मुकदमा के साथ मारपीट की है और न ही उसे दहेज के लिये कभी प्रताड़ित किया है।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध दहेज मांगने, ताना मारने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा इस संबंध में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1/वादिनी मुकदमा माया देवी ने अपने मुख्य बयान में कहा कि मेरी शादी दिनांक 05.05.13 को सुरेश पुत्र मंगल लोधी के साथ हुई थी। जो ग्राम खरेहटा बुजुर्ग थाना राठ के रहने वाले हैं। मेरी शादी मेरे पिता के गृह उमरिया थाना जरिया से हुई थी। मेरे पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार दहेज में घरेलू सामान उपहार में दिया था। शादी के बाद विदा होकर ससुराल गयी। ससुराल में मेरे पति के अलावा जेठ लखन जेठानी दयावती व जेठानी का भाई हरिचरन रहते थे। शादी में दिये गये सामान से संतुष्ट नहीं थे और मोटर साइकिल व 50हजार रूपये की मांग करने लगे। धमकी दिया कि नहीं लोओगे तो सुरेश की दूसरी शादी कर देंगे। मांग पूरी न होने पर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे व जान से मारने की धमकी देने लगे। पत्रावली में संलग्न तहरीर कागज सं0 5क/1 है, इस पर मैंने अपने दस्तखत बनाये थे, मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूं। तहरीर पर प्रदर्श क1 डाला गया। इस प्रकार वादिनी मुकदमा पी0डब्ल्यू0–1 श्रीमती माया देवी ने अपने मुख्य बयान में घटना का समर्थन किया है, परन्तु जिरह में उसके द्वारा कथन किया गया है कि **''जब मैं विदा होकर ससुराल गयी तो ससुराल में ससुरालीजन ने खुशी–खुशी रखा था। ससुरालीजन ने दहेज में मोटरसाइकिल व 50हजार रूपये की मांग नहीं की थी, न ही मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया था तथा न ही जान से मारने की धमकी देते थे। मैं अपने ससुराल में अपने पति के यहां रह रही हूं। यह कहना गलत है कि ससुरालीजन दहेज की मांग करते थे व प्रताड़ित करते थे। तहरीर में मेरे हस्ताक्षर खाली कागज में बनवा लिये गये थे। क्या लिखा था, मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था।''**

अभियोजन की ओर से अभियोग के समर्थन में साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 वादिनी मुकदमा श्रीमती माया देवी को परीक्षित कराया है, जिन्होंनें अपने मुख्य बयान में घटना का समर्थन तो किया है, परन्तु जिरह में कहा कि ससुरालीजन ने दहेज में कभी 50हजार रूपये की मांग नहीं की है, शारीरिक व मानसिक रूप से भी प्रताड़ित नहीं किया और न ही ससुरालीजन ने कभी मारपीट की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने के तथ्य को संदेह से परे साबित नहीं किया है तथा साक्षी के बयान में विरोधाभास भी है। न्यायालय के मत में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 श्रीमती माया देवी के मुख्य बयान व उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप मु0अ0सं0– 710/14 अन्तर्गत धारा– 498ए, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0

एक्ट के तहत संदेह से परे साबित नहीं होता है।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण परिचर्चा के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है। अभियोजन पक्ष द्वारा इनके अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। मात्र अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष द्वारा गवाह पी0डब्ल्यू0–1/ वादिनी मुकदमा श्रीमती माया देवी के मुख्य बयान के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत मु0अ0सं0–710/14 अन्तर्गत धारा–498ए,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना राठ, जिला हमीरपुर संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। तद्नुसार अभियुक्तगण सुरेश लोधी, लखन लोधी, श्रीमती दयावती, हरिचरन पर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सुरेश लोधी, लखन लोधी, श्रीमती दयावती, हरिचरन को मु0अ0सं0–710/14 अन्तर्गत धारा–498ए,506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना राठ, जिला हमीरपुर के अन्तर्गत दण्डनीय आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगणों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा अन्तर्गत धारा 437ए द0प्र0सं0 का अनुपालन किया जा चुका है।

दिनांक–29.11.19

(शैलेन्द्र नाथ)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
राठ, हमीरपुर।

यह निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित किया एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–29.11.19

(शैलेन्द्र नाथ)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
राठ, हमीरपुर।